न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :— अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्या:— 94 / 19 ई.दी निर्णय दिनांक:—20.04.2021

1 श्री फता पिता शिवा जाति डामोर उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

वादी

बनाम

1 श्री भवानसिंह पिता शिवा डामोर उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।
2 श्री मानसिंह पिता शिवा डामोर उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।
3 श्री रायसिह पिता भवान डामोर उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।
4 मंजु पिता भवान डामोर उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।
5 माली पत्नि भवान डामोर उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।
6 श्री मान तहसीलदार सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 188 व 209 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम

सपठीत धारा 151 जाब्ता दिवानी

उपस्थित :—श्री बालगोविन्द पाटीदार वादी की ओर से

प्रतिवादीगण की ओर एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी एवं प्रतिवादीगण गांव अमरपुरा के होकर स्थायी निवासी है। वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम अमरपुरा में खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 164 / 163 खेत किता 1 कुल रकबा 1.6187 हैक्टेयर होकर स्थित है। जिस पर वादी का करीब 50 वर्ष से कब्जा होकर वादी उक्त वादग्रस्त भुमि पर खेतीबाडी कर अपना जीवन यापन कर रहे है। वादी कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में हुण्डिया की फसल की कटाई के लिए खेत गया हुआ था तो उसी समय प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी आराजी में जबरन अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने की नियत से धुसकर वादी द्वारा मेहनत मजदुरी कर उगाई गई फसल को काटने लगे जिस पर वादी ने मना किया तो प्रतिवादीगण विवाद कर जबरन जमीन अपनी बताकर हडपने की धमकी देने लगे तथा वादी की फसल हुण्डिया चारा को प्रतिवादीगण ले जाने की धमकी देने लगे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

क्रमशः पेज 2 पर

तथा प्रतिवादीगण वादी को खेत में खेड़ाई करने जाने पर पत्थर लठठ लेकर हमला करने लगे जिस पर वादी जान बचाकर घर पर आ गया। जिससे वाद कारण लगातार पैदा होने से वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है जो म्याद अवधि में पेश है।

प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाना आवश्यक हैकि खातेदारी आराजी ग्राम अमरपुरा में खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 164/163 खेत किता 1 कुल रकबा 1.6187 हैक्टेयर में अतिकमण प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरो से करावे। न ही वादी को उनकी खातेदारी आराजी मे काश्त करने मे रुकावट, प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरो से करे।

इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य रखी गई। लम्बे समय बाद भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य बंद कर दी गई।

1 प्रदर्श– 1 संवत 2076–2077 की हाल जमाबंदी

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी वकील वादी ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम अमरपुरा में खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 164/163 खेत किता 1 कुल रकबा 1.6187 हैक्टेयर होकर स्थित है। जिस पर वादी का करीब 50 वर्ष से कब्जा होकर वादी उक्त वादग्रस्त भुमि पर खेतीबाडी कर अपना जीवन यापन कर रहे है। वादी कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में हुण्डिया की फसल की कटाई के लिए खेत गया हुआ था तो उसी समय प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी आराजी में जबरन अनाधिकृत रूप से अतिकमण करने की नियत से धुसकर वादी द्वारा मेहनत मजदुरी कर उगाई गई फसल को काटने लगे जिस पर वादी ने मना किया तो प्रतिवादीगण विवाद कर जबरन जमीन अपनी बताकर हड़पने की धमकी देने लगे तथा वादी की फसल हुण्डिया चारा को प्रतिवादीगण ले जाने की धमकी देने लगे। तथा प्रतिवादीगण वादी को खेत में खेढाई करने जाने पर पत्थर लठठ लेकर हमला करने लगे जिस पर वादी जान बचाकर घर पर आ गया। प्रतिवादीगण से परेशान को वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी में काश्त करने में राहत चाहने वाद किया है।

हमने उभय वकील बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में शामिल दस्तावेज का अवलोकन किया प्रदर्श 1 से साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी की वादीया खातेदार काश्तकार है। और खातेदारी काश्तकार अपने खातेदारी आराजी को सुरक्षित रखने व उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है। दस्तावेजी साक्ष्य साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण को कोई हक एवं अधिकार नहीं है।

कमशः पेज 3 पर

ऐसे में प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वे वादग्रस्त आराजी वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम अमरपुरा में खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 164/163 खेत किता 1 कुल रकबा 1.6187 हैक्टेयर में अवैध अतिकमण व पाया जाता है तो तहसीलदार सीमलवाडा मौका मुआयना व पैमाईश कर अवैध अतिकमण हटाने वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा व जबरन अतिकमण न तो प्रतिवादीगण स्वंय करे न ही मित्र एजेन्ट व मजदुरो से करावे।

आदेश

वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम अमरपुरा में खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 164/163 खेत किता 1 कुल रकबा 1.6187 हैक्टेयर में अवैध अतिकमण व पाया जाता है तो तहसीलदार सीमलवाडा मौका मुआयना व पैमाईश कर अवैध अतिकमण हटाने वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा व जबरन अतिकमण न तो प्रतिवादीगण स्वंय करे न ही मित्र एजेन्ट व मजदुरो से करावे। डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे।

अनिल कुमार जैन
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 20.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डिक्स डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम सम्बोला

इजलास श्री उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन सीमलवाडा

श्री फता बनाम श्री भवानसिंह वगैरह

वादबाबतः– वाद अन्तर्गत धारा 188 व 209 राजस्थानी काश्तकार अधिनियम सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :–श्री अनिल कुमार जैन

व हाजरीः–श्री बालगोविन्द पाटीदार मिनजानिब मुदई व एकपक्षीय मिनजानिब मुदायलाह उपस्थिति होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि:–

ग्राम अमरपुरा में खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 164/163 खेत किता 1 कुल रकबा 1.6187 हैक्टेयर में अवैध अतिक्रमण व पाया जाता है तो तहसीलदार सीमलवाडा मौका मुआयना व पैमाईश कर अवैध अतिक्रमण हटाने वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा व जबरन अतिक्रमण न तो प्रतिवादीगण स्वय करे न ही मित्र एजेन्ट व मजदुरो से करावे।

रे दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 20.04.2021 को जारी की गई

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी . .
ओहदा . . सीमलवाडा . . . .

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प व जेह सबुत म्हेनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी म्हेनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
थमजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा